

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा (अलवर) राज.

फर्द अहकाम

श्री. गणेश शर्मा

बनाम

अमर सिंह

11/09/2020

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर

161/2020

तारीख दायर

11-09-2020

तारीख फैसला

06/05/2020

उनवान

01. शम्भुनाथ प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड, 144/2 मथुरा रोडद्व आश्रम नई दिल्ली जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता योगेश शर्मा पुत्र श्री हरिशंकर शर्मा

-----:: वादी

बनाम

01. अमरसिंह पुत्र श्री सोहनसिंह
02. मुख्तयारसिंह
03. गुरदीपसिंह
04. महेन्द्रसिंह पुत्रान श्री ठाकरसिंह
05. मिन्दोबाई
06. शीलाबाई
07. स्वर्णकौर
08. दीपोबाई पुत्रीयान श्री ठाकरसिंह जाति रायसिख निवासीगण ग्राम मिठियावास तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)
09. अब्दुल रसीद पुत्र श्री अयुब जाति मेव निवासी ग्राम मिरचूनी तहसील तिजारा जिला अलवर
10. हरनामसिंह पुत्र श्री दीवानसिंह
11. देवतीबाई पत्नी श्री फत्तासिंह जाति रायसिख निवासीगण ग्राम मिठियावास तहसील तिजारा जिला अलवर
12. श्रीमान् तहसीलदार साहब, बहैसियत लैण्ड होल्डर, तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

-----:: प्रतिवादीगण

दावा तकासमा वो हुक्मइम्तनाई दवामी

अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

--:: निर्णय ::--

प्रकरण के सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादी ने यह दावा तकासमा मय हुक्मइम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध दावा प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 277 रकबा 0.09 है0 वाके ग्राम मिठियावास तहसील तिजारा जिला अलवर में स्थित है। योगेश शर्मा को विवादित आराजी के संबंध में पूर्ण जानकारी है व वादी कम्पनी की ओर से समस्त विधिक कार्यवाही करने के लिए अधिकृत है। विवादित आराजी वादी कम्पनी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 की संयुक्त कब्जे काश्त शामलात खातेदारी की आराजी है। उक्त विवादित आराजी में वादी कम्पनी का 1/14 भाग व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 का मुताबिक जमाबन्दी हिस्सा है, जिसका अंकन राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में हो रहा है। जिस पर वादी कम्पनी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 मुताबिक अपने अपने भाग पर काबिज व दाखिल चले

Oh

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा (अलवर) राज.

फर्द अहकाम

बनाम

31/11/22

है। रिकार्ड में शामिल राजस्व रिकार्ड दर्ज है। वादी कम्पनी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 अपने अपने के अनुरूप मौके पर उक्त आराजी पर काबिज एवं दाखिल है। किन्तु आज तक लिखित रूप में पक्षकारान् मध्य कोई बंटवारा नहीं हुआ है और राजस्व रिकार्ड में शामिल में ही काबिज व दाखिल चले आ रहे हैं। हर पर हर हिस्सेदार का हिस्सा है। वादी कम्पनी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 के मध्य बाई मिट्स एण्ड उण्डस आज तक कोई तकासमा नहीं हुआ है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन तलब किया जाकर जवाब दावा प्रस्तुत करने का प्रवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 अनुपस्थित इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 12 फोरमल पक्षकार है कोई राजहित निहित नहीं है। अतः जवाब सरकार बन्द किया गया। वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वादी वकील ने दावा को प्रारम्भिक डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।


प्रकरण में दिनांक 05-01-2021 को प्रारम्भिक डिक्री जारी कर तहसीलदार टपूकडा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर बाई मिट्स एण्ड वाउण्डस के आधार पर बंटवारा स्कीम तैयार कर रिपोर्ट कुरे तलब की गई। चूंकि तहसीलदार टपूकडा ने अपने पत्र क्रमांक: भू.अ./2022/5038 दिनांक 04-04-2022 के द्वारा प्रकरण में कुरे रिपोर्ट प्रेषित कर दी थी। प्रार्थी अधिवक्ता ने मुताबिक कुरे रिपोर्ट फाईनल डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। कुरे रिपोर्ट का अवलोकन किया। दावा फाईनल डिक्री किया जाना उचित है।

अतः दावा वादीगण फाईनल डिक्री किया जाता है निम्नानुसार हाल आराजी खसरा नम्बर 277 रकवा 0.09 है 0 वाके ग्राम मिठियावास तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान) को फरीकैन के अनुसार खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकवा	किस्म	लगान
01.	शम्भुनाथ प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड, 144/2 मथूरा रोड आश्रम नई दिल्ली जरिये डायरेक्टर चांदवीर पुत्र मदनसिंह जाट 144/2 मथूरा रोड आश्रम नई दिल्ली खातेदार	277	0.00643	बाराणी 2	0.02571
02.	अब्दुल रसीद पुत्र अय्यूब हि0 321/8357 मेव सा. मिरचूनी अमर पुत्र सोहनासिंह हि0 757/8357 सा. देह गुरमीत महेन्द्र पुत्रान मिन्द्रो बाई पुत्री ठाकर सिंह हि0 138/8357 दीपो बाई पुत्री मुख्तयार सिंह पुत्र शीला बाई स्वर्णकौर पुत्रीयान ठाकरसिंह हि0 1469/8357 हरनामसिंह पुत्र दिवानसिंह हि0 1286/8357 देवती पत्नी फत्तारसिंह हि0 1286/8357 जाति रायसिख सा. देह गैर खातेदार	277/1	0.08357	बाराणी 2	0.33429

तकसीम शुद्धा नक्शा फाईनल डिक्री का जुज होगा। राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश सुनाया गया।


(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)